[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा.का.नि. ..... (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (2क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात पर विचार करते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है, और इसीलिए, एतदद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"स्पष्टीकरण - क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 में अधिसूचना संख्या 9/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किए गए संशोधन उन वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे जिनका विनिर्माण 01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले किया गया हो और उनको 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद "क्लीयर" किया गया हो ।"

[फाइल संख्या 334/04/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सा.का.नि. 793 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।